न्यायालयः अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी, खीरी।

CNR NO.–UPLP 1200 0508 2022
फौजदारी मुकदमा संख्या–1854/2024
कंप्यूटर पंजीकरण सं०–140/2022

राज्य
बनाम
वारिस आदि।

एन०सी०आर०सं०–20/2020
अं०धारा–323, 504 भा०दं०सं०
थाना–पसगवां, जिला–खीरी

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। वादी पक्ष मानूस तथा अभियुक्तगण वारिस, कयूम व पप्पू मय विद्वान अधिवक्तागण न्यायालय में उपस्थित हैं। उभयपक्षों द्वारा सुलहनामा दिनांकित 21.07.2026 प्रस्तुत कर उपरोक्त मुकदमे को समाप्त किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सुलहनामा दिनांकित 21.07.2026 पत्रावली पर दाखिल है। उपरोक्त पर वादी पक्ष मानूस के फोटो व हस्ताक्षर की शिनाख्त विद्वान अधिवक्ता श्री मो० जीशान ने की है तथा अभियुक्तगण वारिस, कयूम व पप्पू के फोटो व हस्ताक्षर की शिनाख्त विद्वान अधिवक्ता श्री एस०पी० सिंह ने की है। सुलहनामा उपरोक्त आज दिनांक 21.07.2026 को न्यायालय में तस्दीक किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी पक्ष मानूस द्वारा विपक्षीगण उपरोक्त के विरूद्ध वाद दायर किया गया था। संधिपत्र आज दिनांक 21.07.2026 को न्यायालय में तस्दीक किया गया। पक्षकारान में अब सुलह हो गयी है। अतः सुलहनामा स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

सुलहनामा दिनांकित 21.07.2026 स्वीकार किया जाता है। फौजदारी मुकदमा संख्या–1854/2024, एन०सी०आर०सं०–20/2020 में अभियुक्तगण वारिस, कयूम व पप्पू को धारा–323, 504 भा०दं०सं० के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। उपरोक्त वाद का निस्तारण सुलहनामा के आधार पर किया जाता है। सुलहनामा इस निर्णय का अंग होगा। बाद कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 21.07.2026

(रजत प्रकाश सोन)
अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
मोहम्मदी–खीरी।
(JO Code–UP 3725)